F.No. 5(3)/2023 – RTI(LD)
Government of India
Ministry of Law and Justice
Legislative Department
RTI Cell
***

New Delhi, the 10th April, 2023

Subject: Providing of Information under RTI Act.

Sir,

Please refer to Lok Sabha Secretariat's OM No. 1(166)/IC/23 dated 23.2.2023 transferring therewith your application dated 3.2.2023 (received in this Department on 10.3.2023) on the subject mentioned above. In this regard, it is stated that the information sought by you is not covered under section 2 (f) of the RTI Act, 2005. Under the provisions of Section 2(f) of the RTI Act, the CPIO is responsible for furnishing information available in any material form including records, documents etc. The applicant right extends only to seeking information as defined in section 2(f) either by pinpointing the file document, paper or record etc. or by mentioning the type of information as may be available with the specified public authority.

Yours faithfully,

(**P.C. Meena**)
Director (OLW) & CPIO
Tel. No. 23388007

Note.- Dr. N.R. Battu, Additional Secretary & FAA, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Room No.421 'A' Wing, 4th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi – 110001(Tel. No.01123384044 & E mail aa-rti-legis@nic.in) is the First Appellate Authority for filing the first appeal, if any (within 30 days from the date of issue of the letter).

Copy to: The CPIO Lok Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi w.r..t. their OM No. 1(166)/IC/23 dated 23.2.2023.

3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

भ्रष्टाचार, राजस्व राशि, ~~[illegible]~~ जन विकास कल्याणकारी योजनाओं लूट-खसोट किए, जाने के विरुद्ध सूचक आवेदक संबंधित पदाधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार आवेदन करता है, और जानकारी की माँग करता है, तो पदाधिकारीगण अपने बचाव में दफा-353 वगैरह को अपना-कर स्वंय लाभ लेकर स्वंय अपना बचाव करते हुए। सूचक आवेदक के विरुद्ध थाना में मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, साथ ही दलाल-बिचौलिया तथा शरारती तत्वों से संपर्क स्थापित कर साँठ-गाँठ वो अपने प्रभाव में कर सूचक आवेदक के साथ मार-पीट और जानलेवा हमला करवाते हैं, तथा जेल में भेजवा देते हैं। इस तरह से तंग वो तबाह कर परेशान करवाते हुए, आर्थिक क्षति-नुकसान पहुंचाने के कार्य करते हैं के विपरीत सूचक आवेदक के रक्षार्थ क्या संविधान के द्वारा नियम कानून पारित आदेश है का पूर्ण रूप से संसद भवन, जानकारी अभिप्रमाणित सर्कुलर सूची उपलब्ध कराने कि कृपा की जाय।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिका अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है । यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है

5. √(1) मैंने 10 रुपये (शब्दों में) दस रुपये का भारतीय पोस्टल –